BA Part II (GEN/Sub)

Dr. Chiranjeev Kr Thakur
Assistant Professor GT
Department of Sociology
VSJ College Rajnagar

Lecture V

वृद्धजनों के लिए किये गये प्रयास ⇒ वृद्धजनों के कल्याण के प्रति विश्व में जागरूकता आई है। वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में वृद्धावस्था अधिकार पर एक घोषणा पत्र तैयार किया। 1982 में वियना में वृद्धजनों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया। वृद्धजनों के प्रति विश्व में जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1999 में वृद्धलोगों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।

भारत में वृद्धों की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किये गये, जो इस प्रकार है -

1. जनवरी 1999 में वृद्धजनों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अन्तर्गत वृद्धजनों की देखभाल का उत्तरदायित्व उनके परिजनों पर डाला गया।

2. 29 मार्च 2008 को लोकसभा में मेंटेनेंस एण्ड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एण्ड सीनियर सिटीजंस विधेयक 2007 पारित किया गया। इस विधेयक में भी परिवार के सदस्यों को वृद्धजनों की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

3. भारत में सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 1992 में वृद्धजनों के हित में एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अन्तर्गत वृद्धों की सहायता के करने वाले N.G.O को वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा गया।

4. सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा वृद्धों की समस्याओं की ओर समाज में जागरूकता लाने का कार्यक्रम चलाया जाता है। इस समय भारत में अनेक वृद्धावस्था गृह, वृद्धजन देखरेख केन्द्र तथा सचल अस्पताल स्थापित किया गया है।